

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/760
दिनांक : 24.5.2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इस्माईल नेशनल महिला (पी0जी0) कालेज, मेरठ को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (पी0सी0एम0) पाठ्यक्रम (दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0वी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 02.05.2018 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार इस्माईल नेशनल महिला (पी0जी0) कालेज, मेरठ को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (पी0सी0एम0) पाठ्यक्रम (दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, इस्माईल नेशनल महिला (पी0जी0) कालेज, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1283
दिनांक : 10.8.09

सचिव,

इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज,
मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-727/सत्तर-2-2008-2 (752)/2008, दिनांक 30.12.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ को एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ को एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

Dr. B.
उप कुलसचिव
10.8.09

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

ई-8722

संख्या : जी- / जी०एस०,

लखनऊ, दिनांक : 23-11-1998।

(पिन कोड नं.-227132)

प्रेषक

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

=====

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता-४३(11)/१०२६, दिनांक १.८.९८ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन इस्माईल नेशनल (पी०जी०) कालेज, मेरठ को वित्त विहीन आधार पर ~~व्यापार~~संकाय के अन्तर्गत बी०काम० विषय में दिनांक ०१.७.९८ से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि शैक्षिक पचांग के अनुसार शैक्षिक दिवसों की अवधि को पूर्ण करा लिया गया है।

भवदीय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड) इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, इस्माईल नेशनल(पी०जी०) कालेज, मेरठ।
५. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रेषक,

इन्द्रदेव परेल,
अनु. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 15 अगस्त, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/1664, दिनांक 30 अगस्त, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ को वी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2007-08 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- (2) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव परेल)
अनु. सचिव।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2255 / जी.एस.
दिनांक: 10 / 11 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/७४० दिनांक ०३-०३-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन ईस्माइल नेशनल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- महाविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में अर्ह शिक्षकों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित करा लिया जायेगा।
- ४- महाविद्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष के अर्हताधारी होने का प्रमाण पत्र तथा शिक्षकों के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- ५- शासनादेश संख्या-५१२५/सत्तर-२-२००५(१६६)/२००२ टी०सी० दिनांक २१-१०-२००५ तथा शासनादेश संख्या-५२६७/सत्तर-२-२००५-२(१६६)/२००२-५ टी०सी० दिनांक १६-११-२००५ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- ६- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- ७- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ८- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, ईस्माइल नेशनल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 394 / जी.एस.
दिनांक: 13 / 03 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/१०६८ दिनांक ०४-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के अधीन इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए० चित्रकला एवं संगीत विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की रवीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ।


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।
महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/१०६६ दिनांक ०४-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के अधीन इस्माईल नेशनल (पी०जी०), कालेज, मेरठ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०ए०मनोविज्ञान एवं संस्कृत विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, इस्माईल नेशनल (पी०जी०), कालेज, मेरठ।

(हरी चरण प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल राधिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 451 / जी.एस.
दिनांक: 28/03 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक-सम्बद्धता/9900 दिनांक 08-06-2005 एवं पत्रांक-सम्बद्धता/23 दिनांक 16-12-2005 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) के अधीन इरमाईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- 1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-259/सत्तर-2-2003-16 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक/प्राचार्य, इरमाईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कालेज, मेरठ।

5000
30-3-06

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ - 227132

संख्या ई. 3780/जो. एस.

दिनांक जुलाई 3, 1997

प्रेषक

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव


सेवा में,

कुलसचिव,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्ब-83(11)/437, दिनांक 21.1.98 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन इस्माइल नेशनल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक 1.7.98 से 30.6.98 तक अस्थाई सम्बद्धता के विस्तारण तथा दिनांक 1.7.98 से स्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

भवदीय,



(एल० मिल्टन)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उच्च शिक्षा आयोग, उत्तर प्रदेश, 16-ए न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड), इलाहाबाद।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।

(एल० मिल्टन)
कुलाधिपति के अनु सचिव



मेरठ विश्वविद्यालय
MEERUT UNIVERSITY

Phone : PBX 75021 to 24

Ext. No

Ref. No AF-43(11)/

1053

Date. 20-11-87.....

The Principal,
Ismail National College,
Meerut

Madam,

In view of the Chancellor's letter bearing Ref.No. E-5714/GS dated August 31, 1987 and the resolution No. 4 of the meeting of the Executive Council of the University the Vice-Chancellor has been pleased to accord permanent affiliation to your college. in M.A. Hindi & Urdu under the Faculty of Arts w.e.f. 1.7.87.

Yours faithfully,

R.K. Singh

(R.K.Singh)
Dy. Registrar (Affl.)
for Registrar

Copy to the following for information.

1. Dy. Registrar Exam/Confidential.
2. Director of Education Higher Allahabad.
3. Dy. Director of Education 1st Region, Meerut.
4. D.I.O.S. Meerut.

(R.K.Singh)
Dy. Registrar (Affl.)
for Registrar

1050-
12
23-11-87

डा० ए० के० गोस्वामी,
एम०एस०सी०, पी०एच०डी०, एफ०जी०एस०,
कुलसचिव

फोन आफिस 4426
निवास 2678
मेरठ विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

पत्रांक : एफ०-43१११/4632
दिनांक 6-3-73

मन्त्री
इस्माईल नेशनल गर्ल्स
डिग्री कॉलेज,
मेरठ ।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा 19११ के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव संख्या 34 दिनांक 26-2-73 द्वारा आपके विद्यालय को संस्कृत तथा संगीत विषयों में स्नातक स्तर तक स्थाई मान्यता प्रदान कर दी है ।

भवदीय,

ह०/-


6-3-73

प्रहलाद स्वयं

का० अधीक्षक मान्यता

कुले कुलसचिव

सत्य श्रितिलिपि



प्राचार्या

इस्माईल नेशनल महिला स्नातकोत्तर कॉलेज,
मेरठ ✓



No. Af-43(11)/712

Dated : 24-4-74

The Principal,
Ismail National Degree College
(for women)

Meerut.

Madam,

I am directed to inform you that the Executive Council vide its resolution No. 7 dated 21.4.1974 has granted permanent affiliation to your college in Economics upto B.A. standard.

Yours faithfully,

[Signature]
25/4/74

(K.V. Singh)
Asstt. Registrar(Affl.)
for Registrar.

cc. to the Dy. Director of Education, 1st Region,
Meerut for information and necessary action.

H
~~Screen~~
ns. S. Tyagi
26-4-74

(K.V. Singh)
Asstt. Registrar(Affl.)
for Registrar.

290
I 26/4/74

मिर्जापुर विश्वविद्यालय
MIRZA PUR UNIVERSITY,
MEERUT

(W.), MEERUT:



Phone { 4417
4721

Ref.No. AF-43(12)/14257

Feb. 20, 1969

The Principal,
I.N.Degree College,
MEERUT.

Madam,

In continuation of office letter No. 223/A-7/68 dated 22.11.1968 I am to inform you that the Vice-Chancellor has granted permanent recognition to your college in Urdu and Sociology upto B.A. standard with retrospective effect from July, 1966.

Yours faithfully,

20/2/69

(V.B.Bansal)
Asstt.Registrar (Affl)
for Registrar.

Principal,
Isma National Mahila (P.G.) College
MEERUT.

Vishnu Sharan Gupta

Secretary,
Isma National Mahila (P.G.) College
MEERUT

Received
6.4.66
SB

AGRA UNIVERSITY

Copy of letter No.3367/G.S. dated March 26, 1966 from the Secretary to the Chancellor, Agra University addressed to the Registrar, Agra University, Agra.

Forwarded to the Secretary for information
6.4.66

With reference to your letter No.Affl/6122 dated March 21,1966, I am directed to say that in view of the position explained therein, the Chancellor has been pleased, under section 18(1)(1) of the Agra University Act, to sanction permanent affiliation to Ismail National Degree College (for Women), Meerut, upto the B.A. standard in English Literature, Political Science, Hindi, Drawing & Painting and Psychology in which provisional affiliation was sanctioned to the college upto the B.A. from July 1962 on year-to-year basis. AS stated in your letter referred to above, it is noted that all the conditions of affiliation have been fulfilled by the college except for the appointment of a duly qualified Head of the Department in English which has been promised to be done in July 1966, and the Vice-Chancellor may kindly ensure its fulfilment in time.

2. I am to add that it is not understood how permanent affiliation has been recommended in the subjects of Urdu and Sociology also when provisional affiliation had not been sanctioned in these subjects. The position in this regard may please be clarified.

Office of the Registrar, Agra University

4 APR 1966

No.Affl/ 6309

AGRA Dated _____

Copy forwarded for information to the Principal, Ismail National Degree College (for Women), Meerut.

Para 2. has to be explained pl. see up draft today. WJ 7/4

m